

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर0 वाद सं0— 70/2015-16

प्रसादी साहवादी

बनाम्

शेख मुल्हाय.....प्रतिवादी

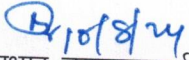
—:आदेश:—

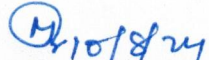
10/8/2024

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत पाया कि यह मामला विगत वर्ष 2015-16 से लंबित चली आ रही है। उभय पक्ष दिनांक-05.04.2018 से 27.07.2024 तक लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दोनों पक्षों को नोटिस देने के बावजूद भी उभय पक्षों के द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली जा रही है।

अतः उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। यह आदेश किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं करता है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड्डा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गोड्डा।

पंजी 10/8